न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
18 / 2021	2021 / 104	07.04.2021	23.05.2022

उनवान प्रकरण

उपेन्द्र सिंह पुत्र मांगू सिंह आयु .. वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

—प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला – सीकर।

—अप्रार्थी

2. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र मांगूसिंह
3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र मांगूसिंह
4. औम कंवर पत्नि सुरेन्द्र सिंह
5. गेन्द कंवर पत्नि महाल सिंह
6. नरपत सिंह पुत्र महाल सिंह
7. भवानी सिंह पुत्र महाल सिंह
8. शैतान सिंह पुत्र महाल सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

— तरतीबी अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित :–

श्री लोकेन्द्र सिंह शेखावत [illegible] प्रार्थी की ओर से

पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर – अप्रार्थी नं. 1 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.31 16:09:59 IST
Reason: Self Attested

22/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि के साबिक खसरा नंबर 2024 रकबा 0.25 हैक्टर, 2026 रकबा 0.04 हैक्टर, 2027 रकबा 0.23 हैक्टर, 2028 रकबा 0.03 हैक्टर, 2029 रकबा 0.20 हैक्टर, 2054 रकबा 0.05 हैक्टर, 2525 रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 0.82 हैक्टर का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2019 को करवाया जा चुका है। सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न है। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण शांतिप्रिय व न्यायप्रिय व्यक्ति है। जो एक ही परिवार से है। इसलिए प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की भूमि की पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक है। तरतीबी अप्रार्थीगण वर्तमान में यहां मौजूद नहीं होने से आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार तरतीबी अप्रार्थीगण बनाया गया है। इसलिए प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की भूमि की पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित है। जिसकी पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 21.06.2019 के अनुसार किये जाने का निवेदन प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 1 (तहसीलदार) द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 से प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में जॉच रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 1345/भू. अ./2022 दिनांक 16.05.2022 के द्वारा वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान 21.06.2019 को करवाये जाने तथा उक्त भूमियों पर किसी न्यायालय का स्थगन या वाद विचाराधीन नहीं होने बाबत अवगत कराते हुए सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है।

प्रकरण में बहस व[illegible] एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अभिभाषक ने निवेदन किया कि ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.31 16:09:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

23/05/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2024 रकबा 0.25 हैक्टर, 2026 रकबा 0.04 हैक्टर, 2027 रकबा 0.23 हैक्टर, 2028 रकबा 0.03 हैक्टर, 2029 रकबा 0.20 हैक्टर, 2054 रकबा 0.05 हैक्टर, 2525 रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 0.82 हैक्टर जिसके सम्पूर्ण हिस्से की प्रार्थी काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2019 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश कमांक 18/भू.अ./2019 दिनांक 13.06.2019 की अनुपालना में विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर का विधिवत रूपेण पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। मौके पर कोई फसल काश्त की हुई नहीं है। जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से भी जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो चूकी है। उक्त सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में किया गया है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2024 रकबा 0.25 हैक्टर, 2026 रकबा 0.04 हैक्टर, 2027 रकबा 0.23 हैक्टर, 2028 रकबा 0.03 हैक्टर, 2029 रकबा 0.20 हैक्टर, 2054 रकबा 0.05 हैक्टर, 2525 रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 0.82 हैक्टर जिसके सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2019 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश कमांक 18/भू.अ./2019 दिनांक 13.06.2019 की अनुपालना में विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर का विधिवत रूपेण पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। उक्त विधिवत रूप से करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

23/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.31 16:09:59 IST
Reason: SelfAttested

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का मूण्डरू द्वारा दिनांक 21.06.2019 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 2024 रकबा 0.25 हैक्टर, 2026 रकबा 0.04 हैक्टर, 2027 रकबा 0.23 हैक्टर, 2028 रकबा 0.03 हैक्टर, 2029 रकबा 0.20 हैक्टर, 2054 रकबा 0.05 हैक्टर, 2525 रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 0.82 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम मूण्डरू की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का मूण्डरू द्वारा दिनांक 21.06.2019 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

23/05/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.31 16:09:59 IST
Reason: SelfAttested

23/05/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)